सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मुद्दों के अलावा मंत्रालय के सतर्कता प्रशासन की देखरेख करता है। मंत्रालय का सीवीओ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएण्डटी) तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों का समन्वय करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'शिकायत निपटान नीति' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली (सीटीएस) का उपयोग करके कंपनी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच, अनुवर्ती जांच और सीटीई टाइप परीक्षाओं जैसे सक्रिय, निवारक और दण्डात्मक तरीकों से निपटान तक कार्रवाई की जाती है।

2. संगठन संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख अपर सचिव द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में किया जाता है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता स्कंधों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के प्रमुख प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त सीवीओ होते हैं। उपर्युक्त संगठनों के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी मुद्दों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता का मनाया जाना

दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह **"भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे / Say no to corruption; "Commit to the nation"** मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय में सत्यनिष्ठा शपथ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। सतर्कता मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए सभी कंपनियों में भी इसी तरह की गतिविधियां की गई।

4. समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सीवीओ के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान 25.04.2023, 30.08.2023 और 30.11.2023 को तीन बैठकें आयोजित की गई।

5. शिकायतों का विवरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति

प्राप्त शिकायतों और मामलों, निपटान और लंबित मामलों का विवरण, (सामान्य/वीआईपी/पीआईडीपीआई/सीवीसी)

स्रोत	ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटारा	शेष	आयु वार लंबित (महीने)			
						<1	1-3	3-6	>6
सामान्य	29	367	396	381	15	1	14	0	0
वीआईपी	0	8	8	5	3	0	3	0	0
पीआईडीपीआई	0	5	5	1	4	0	3	1	0
सीवीसी (एफआर और आई एंड आर)	0	7	7	3	4	0	4	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण – प्रमुख

स्रोत	ओपनिंग बैलेंस	अवधि के दौरान आईओ को सौंपे गए जांच	कुल	आईओ से प्राप्त रिपोर्ट	आईओ के पास लंबित पूछताछ	आयु वार लंबित (महीने)			
						<6	6-12	12-18	>18
शीर्ष दंड के मामले	4	0	4	1	3	0	0	1	2

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण –लघु

स्रोत	ओपनिंग बैलेंस	इस अवधि के दौरान डीए द्वारा लघु दंड आरोप पत्र	कुल	ऐसे मामले जिनमें डीए द्वारा अंतिम आदेश जारी किए गए	शेष लंबित	आयु वार लंबित (महीने)			
						<6	6-12	12-18	>18
लघु दंड के मामले	1	0	1	0	1	0	0	1	0

अभियोजन स्वीकृति का विवरण

ओपनिंग बैलेंस	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल	स्वीकृति प्रदान की गई	स्वीकृति इनकार की गई	शेष लंबित
1	1	2	2	0	0